

लघुवनोपज विपणन व्यवसाय हेतु आधारभूत संरचना एवं कार्यशील पूंजी का प्रपत्र

1. समिति का नाम
2. समिति का निबंधन संख्या
3. समिति का पूर्ण पता
4. समिति का अध्यक्ष/सचिव का नाम एवं दूरभाष संख्या
5. समिति का कार्य क्षेत्र
6. समिति के कार्यक्षेत्र में उत्पादित / संग्रहित लघुवनोपज

क्रमांक	लघुवनोपज का नाम	लघुवनोपज की मात्रा (M.T में)
1	ईमली	
2	चिरीजी गुठली	
3	करंज बीज	
4	महुआ बीज	
5	कुसुम बीज	

7. समिति के सदस्य का विवरण :-

क्रमांक	सदस्य के प्रकार	महिला	पुरुष
1	सामान्य		
2	अनुसूचित जाति		
3	अनुसूचित जन-जाति		
कुल			

8. समिति के नाम से जमीन का ब्यौरा :-

खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (डी0 में)	प्रकार

9. समिति के नजदीकी हाट/मंडी का विवरण :-

क्रमांक	मंडी/हाट का नाम	दिन

10. समिति द्वारा भत् वर्षों में की गई लघुवनोपज व्यवसाय का ब्यौरा/अनुभव

11. समिति हिस्सा पूंजी — अधिकृत हिस्सा पूंजी

प्रदत्त हिस्सा पूंजी

12. समिति का अद्यतन अंकेक्षण (वर्ष) :-

13. प्रपत्र के साथ संलग्न करें :-

(क) समिति के विशेष आम सभा (निर्वाचन प्रमाण पत्र) :- सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से सत्यापित कराके

(ख) समिति के प्रस्ताव की सत्यापित प्रति - प्रसंस्करण इकाई हेतु स्पष्ट प्रस्ताव समिति के मुहर, अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर तथा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से सत्यापित कराकर समर्पित करें

(ग) समिति का अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन, विगत दो वर्षों के बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एकाउंट एवं लाम-हानि खाता संलग्न करें।

(घ) भूमि संबंधी साक्ष्य - समिति के नाम से कम - से-कम 5 डिसमिल जमीन हो(जमीन का खाता नं०/प्लॉट नं० तथा जमीन की भौतिक स्थिति संबंधी साक्ष्य/डीड संलग्न करें

(ङ) समिति के बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं एक रदद चेक की प्रति संलग्न करें।

(च) समिति के द्वारा लघुवनीजन व्यवसाय का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें

(छ) समिति के नाम से पेन कार्ड तथा टीन नं० यदि हो तो उसकी प्रति संलग्न करें।

(ज) समिति द्वारा विहित प्रपत्र के आवेदन के साथ प्रपत्र शुल्क के रुप में 500रु०(पाँच सौ) नगद/ ड्राफ्ट के माध्यम से झाम्फकोफेड, राँची के नाम से देय होगा, संलग्न करें।

घोषणा

मैं..... अध्यक्ष/सचिव,समिति लि०.....
घोषणा करता हूँ कि हमारे समिति के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2016-17 अन्तर्गत लघुवनीपज प्रसंस्करण एवं विपणन व्यवसाय हेतु झाम्फकोफेड द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आधारभूत संरचना तथा कार्यशील पूँजी का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए राशि दी जाएगी। साथ ही इस संबंध में झाम्फकोफेड, राँची द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।

समिति का गोल मोहर

अध्यक्ष/सचिव
हस्ताक्षर एवं मुहर